
समक्ष न्यायमूर्ति जी.एस. सिंहवी और अजय कुमार मित्तल, जे.जे

मैसर्स जगदंबा फूड्स लिमिटेड – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एवं अन्य – उत्तरदाता

C. W.P. No. 12366 of 2004

11 अक्टूबर, 2004

भारत का संविधान, 1950-कला. 226 और 286—हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973—एस.एस. 25 और 47—चावल बनाने के लिए धान का उपयोग करने वाला एक डीलर—भारत से बाहर चावल का निर्यात—डीलर खरीद कर का भुगतान करने में असफल रहा—कर निर्धारण प्राधिकारी की मांग पर याचिकाकर्ता कर जमा कर रहा है—1973 अधिनियम की धारा 47 के तहत जुर्माना लगाना—एस . 47 में यह प्रावधान है कि यदि कोई डीलर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी 1973 अधिनियम की धारा 28 के तहत उस कर की राशि का डेढ़ गुना तक जुर्माना लगा सकता है, जिसके लिए उसका मूल्यांकन किया गया है या मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। -याचिकाकर्ता की दलील तर्कसंगत नहीं है कि 19 जनवरी, 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के मद्देनजर, क्योंकि वह आदेश पहले के विवाद के विषय तक ही सीमित था, जुर्माना लगाने वाले मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश में कोई अवैधता नहीं है -याचिका खारिज कर दी गई .

माना गया कि 'हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक डीलर जो राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह कर की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। रिटर्न दाखिल करने से पहले देय कर और यदि वह देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आयुक्त या उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस कर की राशि का डेढ़ गुना तक जुर्माना लगा सकता है, जिसके लिए उसका मूल्यांकन किया गया है या राज्य अधिनियम की धारा 28 के तहत मूल्यांकन किया जाना उत्तरदायी है।

(पैरा 10)

बीके झिंगन और अवनीश याचिकाकर्ता के वकील झिंगन ।

प्रतिवादियों की ओर से विजय दहिया, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

निर्णय

जी.एस. सिंहवी, माननीय न्यायमूर्ति

(1) यह आबकारी और कराधान अधिकारी सह-आकलन प्राधिकरण, करनाल (संक्षेप में "मूल्यांकन प्राधिकरण") , संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (ए), अंबाला (संक्षेप में 'अपीलीय प्राधिकरण') और हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल (संक्षेप में, 'ट्रिब्यूनल') क्रमशः के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, 'राज्य अधिनियम'). द्वारा पारित 8 अक्टूबर, 1996 (संलग्न P-1) , 29 जनवरी, 1998 (संलग्न P-2) और 5 मई, 2004 (संलग्न P-3) को दिए गए निर्देशों को खारिज करने के लिए एक याचिका है।

(2) याचिकाकर्ता, जो पहले एक फर्म मैसर्स जगदम्बा राइस मिल के नाम से काम कर रहा था , अब कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी है। यह राज्य अधिनियम और 1956 के केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम') के तहत डीलर के रूप में पंजीकृत है। यह चावल का उत्पादन करने और विक्रय करने का व्यापार कर रहा है। यह भारत से बाहर चावल का निर्यात भी करता है।

(3) राज्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, प्रणाली द्वारा याचिकाकर्ता को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। 30 जून, 1996 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए, याचिकाकर्ता ने बिना नियमानुसार कर देने दिये 31 जुलाई, 1996 को रिटर्न दाखिल किया, लेकिन साथ में नोट संलग्न किया कि भारत से बाहर निर्यात के लिए उपयोग किए गए धान पर कोई खरीद कर नहीं था। आकलन अधिकारी ने मूल्यांकन को समाप्त किया और दिनांक 12 अगस्त, 1996 के आदेश द्वारा 18,11,714 रुपये की मांग की। याचिकाकर्ता ने फरवरी, 1997 में कर जमा किया।

(4) इसी बीच, आयकर प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद राज्य अधिनियम की धारा 47 के तहत 27,00,000 रुपये का दंड लगाया। दंड लगाने के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई अपील को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1998 के आदेश (संलग्न पी. 2) द्वारा खारिज कर दिया गया, उसके बाद की और अपील भी ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 5 मई, 2004 के आदेश (संलग्न पी. 3) द्वारा खारिज किया गया ।

(5) याचिकाकर्ता ने जुर्माना लगाने पर सवाल उठाया है कि प्राधिकरण द्वारा राज्य अधिनियम की धारा 47 के तहत कार्रवाई शुरू की गई और वह पूरी तरह गलत थी, क्योंकि उस धान पर कोई खरीदी कर नहीं लगना चाहिए था, जो भारत से निर्यात किया गया चावल बनाने के लिए उपयोग किया गया था। उसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 286 और

केंद्रीय अधिनियम की धाराएँ 5(1)(3), 14 और 15 का उपयोग किया और यह दावा किया कि भारत से निर्यात किए गए चावल पर कोई खरीदी कर नहीं लगता था। उसने यह भी दावा किया कि जब 1996 में वित्त अधिनियम संख्या 2 द्वारा केंद्रीय अधिनियम की धारा 15(ca) को जोड़ा गया था— उसके बाद से कर के उद्देश्य के लिए धान और चावल को एक सामग्री के रूप में देखा जाना चाहिए और उसके द्वारा खरीदे गये धान पर कोई खरीदी कर नहीं लगना चाहिए।

(6) उत्तरदाताओं ने रिट याचिका का विरोध करने के लिए जवाब दावा दाखिल किया है। उनका कहना है कि आकलन प्राधिकरण ने धारा 47 के तहत दंड लगाया क्योंकि याचिकर्ता ने जानबूझकर 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1996 तक कर जमा नहीं किया। उत्तरदाताओं के मुताबिक, चावल बनाने के लिए धान पर किया गया खरीदी कर का फैसला 17 अगस्त, 1995 को पारित इस न्यायालय की पूर्ण बेंच के फैसले मैसर्स यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (1) में हो चुका है , और इसलिए याचिकर्ता का यह दायित्व था कि वह रिटर्न भरने से पहले कर जमा करे।

(7) श्री बी.के. झिंगन ने यह दावा किया कि निर्धारित दंड लगाने के लिए आकलन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 1996 को S.L.P. (C) No. 176 of 1996 में दिये गये रोक आदेश के आधार पर, याचिकर्ता को चावल उत्पादन में उपयोग के लिए पैडी पर खरीदी कर देने की आवश्यकता नहीं थी। श्री झिंगन ने यह भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में S.L.P. प्रारूप की प्रलोभनता में याचिकर्ता को यह लगा कि उसे राज्य अधिनियम के अनुसार टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने फिर 1996 के वित्त विधेयक संख्या 7 का संदर्भ दिया जो 28 फरवरी, 1996 को लोकसभा में पेश किया गया था,

जिससे 1996 के वित्त अधिनियम संख्या 2 को अधिनियमित किया गया और यह कहा कि जब धान और चावल को केंद्रीय अधिनियम के धारा 5(3) के उद्देश्य के रूप में एक ही माल के रूप में माना जा चुका है, और भारत से निर्यात किए गए चावल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले धान पर कोई खरीद कर नहीं लगेगा। विद्वान वकील ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता पर दण्ड नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि उसके द्वारा कर न चुकाने की कोई संज्ञानात्मक कमी नहीं थी। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों का सहारा लिया- **जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, (2) फ्रिक इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (3), मारुति वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी, फर्स्ट सर्किल, मद्रनचेरी और अन्य, (4)** और इस न्यायालय के निर्णय **ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य, (5)**। श्री झिंगन ने अपील प्राधिकरण और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का भी चुनौती दी है कि निर्णयों में दिये गये कारण कानूनी तौर पर वैध नहीं हैं।

(8) श्री विजय दहिया, विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने आदेशों का बचाव किया और तर्क दिया कि आकलन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाकर कोई अवैधता नहीं की क्योंकि यह रिटर्न दाखिल करने से पहले कर का भुगतान करने में विफल रहा। उन्होंने संकेत दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 जनवरी 1996 को जारी यथास्थिति के आदेश को 29 नवंबर, 1996 को संशोधित किया गया था परंतु यह याचिकाकर्ता को खरीद के भुगतान से छूट नहीं देता क्योंकि यह आदेश प्राधिकरण मुद्दे से संबंधित 15 अक्टूबर, 1990 के पहले की कालावधि से संबंधित था। श्री दहिया ने यह भी कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानून में भी यह स्पष्ट किया गया है कि **यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड के मामले में (सुप्रा)**, जिसे बाद में **सतनाम ओवरसीज (निर्यात) पार्टनर के माध्यम से और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (6)** द्वारा कुछ हद तक स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी का यह उत्तरदायित्व था की वह 30 जून, 1996 की तिमाही के संबंध में

खरीद कर का भुगतान करता। इसलिए प्राधिकरण द्वारा सही रूप से यह निर्धारित किया गया था कि प्रार्थी ने कर भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था।

(9) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। राज्य अधिनियम की धारा 25 रिटर्न जमा करने और कर का भुगतान करने के बारे में बताता है। उप-धारा (1) यह बताता है कि इस अधिनियम के तहत देय कर का उस प्रकार भुगतान किया जायेगा, जैसा बाद में व्यवस्थित किया जाएगा। उप-धारा (2) यह निर्धारित करता है कि हर विक्रेता, जो कर भुगतान के योग्य है और जो उसने इस अधिनियम या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत उसके द्वारा फाइल किये गए मासिक या त्रैमासिक रिटर्नों के अनुसार कर भुगतान किया या कर भुगतान के योग्य था, उसके द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि या 1 लाख या इससे अधिक होने वाले हिस्से के लिए, हर महीने के 15 वें दिन को उसके पिछले महीने की कुल टर्नओवर के लिए कर भुगतान करेगा। इस उप-अनुच्छेद के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि यदि विक्रेता उस समय अपने कर दायित्व को सटीकता से मापने में सक्षम नहीं होता है, तो वह राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम के तहत फाइल किए गए मासिक या त्रैमासिक रिटर्नों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के एक-बारवें भाग को देगा, और यदि वह पूरे वर्ष के लिए या जिसके लिए उसके द्वारा कर देने का दायित्व नहीं था, और बची हुई राशि, यदि होती है, तो उसे महीने के 25 वें दिन तक भुगतान करना होगा, और अतिरिक्त, यदि होता है, तो वह अगले महीने या उसके बाद के कर दायित्व की दिशा में समय समय पर भुगतान के लिए समायोजित कर सकता है। उप-धारा (3) यह निर्धारित करता है कि जब भी वह विक्रेता, जिसे उप-धारा (2) में उल्लिखित किया गया है, रिटर्न दायर करेगा, तो उसे निर्धारित तरीके से इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय कर की पूरी राशि को एक सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान करना होगा, और उसे रिटर्न के साथ उस खजाने या बैंक से मिली रसीद को प्रस्तुत करना होगा, जो इस राशि के भुगतान को प्रमाणित करती है। धारा 47 विक्रेता द्वारा कर देने में विफलता के परिणामों का प्रावधान करती है। इसमें यह तय किया गया है कि यदि कोई भी डीलर धारा

25 के उपधारा (2A) या उप-धारा (3) द्वारा अनिवार्य रूप से कर नहीं देता है, तो आयुक्त या धारा 3 के उप-अनुच्छेद (1) के अधीन नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति, उसे उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, धारा 28 के तहत मूल्यांकित राशि का एक और आधा गुना तक का दंड लगा सकते हैं।

(10) उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि एक डीलर, जो राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के तहत कर देने के लिए उत्तरदायी है, वह रिटर्न दाखिल करने से पहले और यदि वह कर देने में असमर्थ रहता है, तो आयुक्त या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति धारा 28 के तहत मूल्यांकित राशि का एक और आधा गुना तक का दंड लगा सकते हैं।

(11) **जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (Supra)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम, 1954 की धारा 11बी में प्रकट 'कर देय' शब्द की व्याख्या की और निम्नलिखित सिद्धांतों को स्थापित किया : -

" जहाँ असेसी ने धारा 7(2A) के तहत दाखिल की गई मूल रिटर्न में बोनाफाइड विश्वास के अधीन कि माल-गाड़ी तत्व बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं था सीमेंट की बिक्री के लिए माल-गाड़ी के शुल्क को छोड़ दिया, लेकिन बाद में, 1978 में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर जिसमें कहा गया कि माल-गाड़ी का खर्च सीमेंट की कीमत का हिस्सा था और बिक्री मूल्य में माल-गाड़ी की राशि को शामिल करके बिक्री कर लेना चाहिए, उसके बाद, असेसी ने संशोधित रिटर्न दाखिल किया, माल-गाड़ी की राशि भी जोड़ी और रिटर्न के आधार पर बकाया कर दिया, इस पर धारा 11-B के तहत और कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। जिसे बिक्री कीमत की गणना में माल-गाड़ी की राशि शामिल करने पर चुकाना पड़ना था। 1979 संशोधन से पहले धारा 11B के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी केवल दो

स्थितियों में थी, जो कि निम्नलिखित है, (i) धारा 7 के उप-धारा (2) और (2A) के अंतर्गत बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करना, और (ii) नोटिस के द्वारा अनुमति दी जाने वाले समय या नोटिस मिलने के ३० दिन के अंदर टैक्स का भुगतान नहीं करना। संशोधन से पहले धारा 11B में कहीं भी नहीं कहा गया था कि धारा 7 के तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख से टैक्स की बकाया राशि पर ब्याज चुकाने की जरूरत है। यदि उपधारा (2) के तहत दाखिल की गई टैक्स की राशि फाइनल असेसमेंट के आधार पर नहीं, बल्कि रिटर्न के आधार पर चुकाई गई है, तो इससे धारा 11B के खंड (a) के तहत ब्याज देने का कोई सवाल नहीं हो सकता।

इसके अलावा जब धारा 11B(a) ने "धारा 7 की उप-धारा (2) और (2A) के तहत बकाया टैक्स" शब्द का प्रयोग किया, तो इसे दो उप-धाराओं में इस्तेमाल किए गए उक्त शब्दों के सन्दर्भ में समझना चाहिए। इसलिए, अधिनियम के अनुच्छेद 7(1), (2) और (2A) और 11B को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 11B में "बकाया टैक्स" अर्थात् वह पूरी राशि की ओर संकेत करता है जो उप-धाराओं (2) और (2A) के आधार पर मूल्यांकन टर्नओवर और कर योग्य टर्नओवर के आधार पर बकाया हो जाती है। इसलिए, जब तक असेसी यह टैक्स चुकाता है जो उसके द्वारा फाइल की गई वापसी की सूचना के आधार पर बकाया होता है, तब तक उसकी ओर से कोई अपराध नहीं होता कि वह अधिनियम की धारा 7 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, और इसलिए यह मुश्किल होगा कि उस पर ब्याज देने की जिम्मेदारी हो। अगर रिटर्न अधिकारी द्वारा मंजूर नहीं होती है तो यह अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। धारा की सादी भाषा पढ़ने पर यह पता चलता

है कि कानून उन असेसियों को अंतिम मूल्यांकन पर आधारित करके कर चुकाने की उम्मीद रखने के लिए उम्मीदवारी सौंपता है और उससे ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी से बचने के लिए कर चुकाने की उम्मीद करता है। ऐसा कहना उससे लगभग असंभव कराना होगा।

(12) उपर्युक्त निर्णय का अनुपात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **फ्रिक इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (Supra)** तथा **मारुति वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी, फर्स्ट सर्किल, मद्रनचेरी और अन्य (Supra)** में लागू किया गया था। बाद के मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता- कंपनी, एक डीलर, ने अखाद्य चर्बी का आयात किया और अप्रैल, 1983 में एक कारखाने को इसकी आपूर्ति की। अपीलकर्ता ने उस पर बिक्री कर की कोई राशि एकत्र नहीं की: न ही उसने लेनदेन से संबंधित टर्नओवर का रिटर्न दाखिल किया। बिक्री कर अधिकारी ने 10 अक्टूबर, 1984 को मूल्यांकन पूरा किया और 4 मार्च, 1985 को अपीलकर्ता को रुपये के दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए मांग नोटिस भेजा। 20 मई 1983 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 23(3) के तहत 1,85,882.58 (जिस तारीख तक टर्नओवर का रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए था, उसके साथ रिटर्न के अनुसार कर के भुगतान का प्रमाण भी शामिल होना चाहिए) से 25 फरवरी, 1985 तक। केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मांग को रद्द कर दिया। अपील पर, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई मांग को बरकरार रखा, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 23 (3) के प्रावधानों पर ध्यान दिया, जो यदि अधिनियम के तहत निर्धारित या देय कर या किसी अन्य राशि का भुगतान डीलर द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है और निम्नानुसार आयोजित किया जाता है, तो दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान है: -

"केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत एक डीलर की बिक्री कर का भुगतान करने का दायित्व या तो टर्नओवर की रिटर्न दाखिल करने पर स्व- मूल्यांकन के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है, या फिर मूल्यांकन के आदेश पर उत्पन्न हो सकता है। दाखिल करने में विफलता करयोग्य टर्नओवर का रिटर्न डीलर को कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य परिणाम या दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 23(3) के तहत दंडात्मक ब्याज के दायित्व को आकर्षित नहीं कर सकता है।"

(13) **ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा)** मामले में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 की धारा 10 और 11D की व्याख्या की और निम्नानुसार निर्धारित किया:

"इस प्रकार, एक असेसी दो चरणों में कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, एक बार जब उसके द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाता है और उसके बाद जब कर की राशि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए, स्वैच्छिक कर का भुगतान रिटर्न प्रस्तुत करने पर निर्भर है और इससे स्वतंत्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वैच्छिक कर के भुगतान के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि कर का भुगतान रिटर्न प्रस्तुत करने पर या उससे पहले किया जाना है। इस प्रकार, धारा 10(6) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है या अधिनियम की धारा 11-डी की उप-धारा (1) के तहत ब्याज लगाया जा सकता है, जब दाखिल रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया गया हो। इसलिए, कर का भुगतान रिटर्न दाखिल करने से जुड़ा हुआ है। अधिनियम की योजना के तहत, कर तभी देय होता है जब रिटर्न दाखिल किया जाता है या जब आकलन प्राधिकारी द्वारा कर का मूल्यांकन या मात्रा निर्धारित की जाती है और मांग नोटिस जारी किया जाता है।"

(14) उपरोक्त के आलोक में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है और अपीलीय प्राधिकारी और न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि करने वाले पारित आदेश कानून की स्पष्ट त्रुटि से प्रभावित हैं। कर

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 (अनुलग्नक पी. 1) के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने यह कहकर कर का भुगतान न करने को उचित ठहराया था कि संसद के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में धान और चावल को कर का भुगतान न करने को उचित ठहराया गया था। निर्यात के उद्देश्य से एकल वस्तु और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के मद्देनजर कर जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारण बताकर दोनों आधारों को खारिज कर दिया:

"डीलर का तर्क है कि सीएसटी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों में संशोधन के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप धान और चावल को निर्यात के उद्देश्य से एक ही वस्तु माना जाएगा, तदनुसार डीलर इस बिंदु पर राहत पाने का हकदार है। डीलर का यह तर्क तब तक स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले लेता, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद ही होता है। इसके अभाव में डीलर किसी लाभ का दावा नहीं कर सकेगा और धान का दावा लागू नहीं होगा। हालांकि, पार्टी का यह तर्क भी गलत है कि रिटर्न के अनुसार टैक्स जमा कर दिया गया है, क्योंकि अगर डीलर किसी भी टर्नओवर को कानून के प्रावधानों के विपरीत कर मुक्त घोषित करता है, यह कर मुक्त नहीं होता है और डीलर कर जमा करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता है।

पार्टी के वकील का यह तर्क कि मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, सही है, लेकिन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर की वसूली के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। डीलर के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 19 जनवरी, 1996 का स्थगन आदेश केवल पिछले बकाया के संबंध में है। 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1996 की अवधि के लिए कर को किसी भी हद तक पिछले बकाया के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

(15) अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपील में, याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन से पहले उठाए गए पहले आधार को दोहराया और यह भी दलील दी कि वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि राज्य अधिनियम की धारा 15-ए केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 (सी) के विपरीत है। उसने आगे दलील दी कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर **जेके**

सिंथेटिक्स के मामले (सुप्रा) में, यह मानकर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता कि कर जमा न करना जानबूझकर किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने इन बिंदुओं पर विचार किया और निम्नलिखित कारणों को दर्ज करते हुए इसे खारिज कर दिया: -

"मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने अपने रिटर्न में धान के खरीद कर का कारोबार दर्शाया है, लेकिन कर से छूट का दावा करते हुए कर का भुगतान नहीं किया, जबकि दूसरी ओर, वह इन खरीदों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। **मेसर्स यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में हमारे उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के अनुसार, धान पर भुगतान किए गए कर पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप चावल निर्यात किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के इस स्पष्ट निर्णय के बाद अपीलकर्ता के मन में किसी भी प्रकार के संदेह या भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रही। चूँकि बाहर निर्यात किये जाने वाले चावल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले धान की खरीद पर कर लगाने के संबंध में स्थिति इस त्रैमासिक रिटर्न को दाखिल करने के समय स्पष्ट थी। अपीलकर्ता को इस टर्नओवर पर देय कर जमा करना चाहिए था, अपीलकर्ता को 94 एसटीसी 422 के रूप में उद्धृत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि उसने टैक्स रोकने के लिए गलत रिटर्न दाखिल किया था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सच्चा रिटर्न दाखिल करना अपीलकर्ता पर निर्भर है। सच्चे विश्वास के तहत दाखिल किए गए गलत रिटर्न के मामले में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दाखिल रिटर्न गलत है, तो वह जुर्माने से बच नहीं सकता है। इस दृष्टिकोण को समर्थन मिलता है। प्राधिकरण को स्वयं वकील द्वारा रिपोर्ट किया गया, यानी, **एम/एस जे.के, सिंथेटिक्स लिमिटेड मामला**, जिसमें यह निर्धारित किया गया था: -

"निस्संदेह रिटर्न में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए जो सत्य और पूर्ण हो और , डीलर को जानबूझकर चूक का दोषी ठहराए बिना।"

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को रिटर्न दाखिल करते समय यह अच्छी तरह से पता था कि न्यायालय के स्पष्ट फैसले के मद्देनजर धान की खरीद पर कर लगाया जाएगा। फिर भी उन्होंने खरीद कर, धान के टर्नओवर को कर से मुक्त बताते हुए रिटर्न दाखिल किया है। इस प्रकार अपीलकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि रिटर्न के अनुसार कोई कर देय नहीं था। चूंकि रिटर्न में अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी डीलर की जानकारी के अनुसार सही और पूर्ण नहीं थी, इसलिए अधिकारी का यह मानना उचित था कि रिटर्न के अनुसार कर देय था और चूंकि अपीलकर्ता रिटर्न के साथ उस कर को जमा करने में विफल रहा था, वह राज्य अधिनियम, 1973 की धारा 47 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी था।"

(16) ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ता ने इस दलील को फिरसे उठाया कि यह एक विश्वास के तहत है कि भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल के निर्माण के लिए उपयोग किए गए धान पर खरीद कर देय नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि **एम/एस यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड के मामले (सुप्रा)** में पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अपीलों के लंबित होने के कारण, डीलर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने जेके **सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (सुप्रा)** और **फ्रिक इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी करते हुए राज्य अधिनियम की धारा 47 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके जुर्माना लगाने में गलती की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर की राशि जमा करने में केवल 7 महीने की देरी हुई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटने के तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की गई थी। ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील खारिज कर दी:

"इस मामले में, मेसर्स यूनाइटेड रेसलैंड लिमिटेड (सुप्रा) (104 एसटीसी 362) में माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को देखते हुए डीलर को रिटर्न दाखिल करते समय यह अच्छी तरह से पता था कि धान की खरीद पर कर लगाया जाएगा। जब मेसर्स यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड और अन्य के मामले में

माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया था तो डीलर के लिए खरीद कर का भुगतान रोकने का कोई अवसर नहीं था। मेसर्स यूनाइटेड रेसलैंड लिमिटेड के मामले में फैसले के सामने डीलर को खरीद कर के भुगतान से छूट का दावा नहीं करना चाहिए था। हमें जुमाने की राशि कम करने का कोई कारण नहीं मिला क्योंकि यह जानबूझकर किया गया कार्य था। डीलर द्वारा कर की राशि और उसकी जमा राशि को केवल तभी रोका गया जब उसके पास इसे रोकने का कोई उचित कारण नहीं था।"

(17) हमारी राय में, विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली किसी भी क्षेत्राधिकार संबंधी कमजोरी या त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं। याचिकाकर्ता की दलील है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 19 जनवरी, 1996 के स्थगन आदेश के मद्देनजर, यह एक वास्तविक धारणा बनी हुई है कि भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले धान पर कोई खरीद कर नहीं देना पड़ता है, जो स्पष्ट रूप से गलत है और अस्वीकार किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि 1993 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12776 **एम/एस जगदंबा राइस मिल बनाम हरियाणा राज्य**, माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके आधिपत्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 नवंबर, 1995 के खिलाफ दायर अपील में 19 जनवरी 1996 को नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"इस बीच, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के पिछले बकाया के संबंध में 19 जनवरी, 1996 को यथास्थिति प्राप्त की गई, वह कायम रखी जाएगी, जो सिविल रिट याचिका संख्या 1993 का 12776 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय था। " (महत्व जोड़ें)।

(18) उपरोक्त आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम निर्देश पिछले बकाये तक ही सीमित था जो 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 12776 में उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का विषय था। इसे अलग तरीके से कहें तो, स्थगन आदेश 19 जनवरी, 1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित फैसले का याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में देय कर से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता की दलील है कि उसने इस

वास्तविक विश्वास के तहत काम किया था कि 1 अप्रैल, 1996 से 1 अप्रैल, 1996 तक की अवधि के संबंध में खरीद कर देय नहीं था मानी नहीं जा सकती।

(19) यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए धान पर कर बकाया था, जिसका उपयोग चावल के निर्माण के लिए किया गया था, राज्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए बहस का विषय नहीं था और मेसर्स यूनाइटेड रेसलैंड लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा सकारात्मक निर्णय, जिसका निर्णय 17 अगस्त, 1995 को हुआ था मामले में, इसका उत्तर असमान रूप से दिया गया था। पूर्ण पीठ ने राज्य अधिनियम की धारा 15-ए को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि चावल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले धान पर खरीद कर देय था। **सतनाम ओवरसीज़ केस (सुप्रा)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आंशिक रूप से इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को उलट दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य अधिनियम की धारा 9 (1) (बी) के संदर्भ में, असेसी 1 अप्रैल, 1991 से पहले समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्षों में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार को मंजूरी दे दी थी कि 1 अप्रैल, 1999 या उसके बाद डीलर द्वारा धान खरीद पर खरीद कर देय था। इसलिए, 30 जून, 1996 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले देय कर का भुगतान न करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

(15) हमारा यह भी मानना है कि याचिकाकर्ता की ओर से 30 जून, 1996 को देय कर का भुगतान करने में चूक राज्य अधिनियम की धारा 47 के अर्थ के तहत कर का भुगतान करने में उसकी विफलता के बराबर है और निर्धारण प्राधिकारी ने दंड लगाकर कोई अवैधता नहीं की है।

(16) विद्वान वकील का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने संसद में पेश वित्त विधेयक, 1996 के मद्देनजर कर की राशि का भुगतान नहीं किया, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारी राय में, याचिकाकर्ता संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले अधिनियम के अंतिम स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता था और यह मानकर

कर का भुगतान करने से बच सकता था कि कर का भुगतान करने का उसका दायित्व संशोधित प्रावधान द्वारा समाप्त हो जाएगा।

(17) किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई है।

(18) परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा